(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 4041–दो/2016 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 23–11–2016 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 272/2013–14 अपील

पहाड़ सिंह पुत्र गिरवर सिंह गुर्जर
ग्राम दत्तला तहसील नरबर
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

बारेलाल पुत्र शोभाराम खटीक
ग्राम कांकर तहसील नरबर
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ——— अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 07 – 12 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 272/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–11–16 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने आवेदक के विरूद्व तहसील न्यायालय नरबर में म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 का दावा प्रस्तुत कर मांग रखी कि आवेदक ने उसके नाम की भूमि सर्वे क्रमांक 649 ग्राम गागोनी पर जबरन कब्जा कर लिया है इसलिये भूमि वापिस दिलाई जावे। तहसीलदार नरबर ने प्रकरण क्रमांक 4/13–14 अ–70 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश

दिनांक 18-2-2014 पारित करके आवेदक के बेदखली के आदेश के साथ रू. 1,90,400/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्रकरण कमांक 50/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-3-14 से अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 272/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-16 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि इसी भूमि के विक्रय किये जाने हेतु अनावेदक ने आवेदक के साथ अनुबंध पत्र का निष्पादन किया है एंव अनुबंध पत्र निष्पादन उपरांत कब्जा सौंप दिया है तभी से आवेदक इस भूमि पर खेती करते आ रहा है इसलिये ऐसे कब्जे को जबरन कब्जा नहीं माना जा सकता। आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि ग्राम गागोनी की भूमि सर्वे कमांक 649 रकबा 1-670 हैक्टर अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 23-11-16 के पद 5 में विवेचित किया है कि जांच में अपीलार्थी (आवेदक) का वादित भूमि पर कब्जा पाया गया है एंव उसके द्वारा स्वयं् कब्जा होना स्वीकार किया है। तथाकथित अनुबंध विक्रय पत्र से स्वत्व का अंतरण नहीं होता है एंव तथाकथित विक्रय अनुबंध पत्र के निष्पादन एंव क्रियान्वयन हेतु भी अपीलार्थी ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही नहीं की , जिसके कारण वादित भूमि पर आवेदक का वलात कब्जा किया जाना पाये जाने तहसीलदार नरबर ने आदेश दिनांक 18-2-2014 से बेदखली के आदेश के साथ रू. 1,90,400/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने आदेश दिनांक 26-3-14 पारित

करते समय तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 272/13-14 अपील में आदेश दिनांक 23-11-16 पारित करते समय तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 272/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर